निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध–V

फॉर्म संख्या एमआर–3
31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सदस्य गण,
आरईसी लिमिटेड
कोर–4, स्कोप काम्प्लेक्स
7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

हमने **आरईसी लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी" कहा जाएगा)** द्वारा अपनाई जा रही लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कारपोरेट पद्धतियों की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई कि इससे हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमें अपनी राय व्यक्त करने का तार्किक आधार मिला।

लेखा बही, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड और सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेन्टों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, व्याख्या और स्पष्टीकरण, प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व और कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए कोविड–19 महामारी के प्रसार के कारण अधिपत्रित पर आधारित अपने सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे दिए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी उल्लिखित करते हैं कि कंपनी में समुचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र कार्यरत है और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमने लेखा बही, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए') और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपविधि;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्र पार प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

(क) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयरों का मूल अधिग्रहण और अभिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (आंतरिक कारोबार निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(घ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(ङ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(च) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और प्रतिभूतियों के निर्गमन तक क्लाइंट के साथ सम्मान के साथ व्यवहार संबंधी;

(छ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयर का असूचीकरण) विनियम, 2009: (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं); तथा

(ज) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 2018; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

यह कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीबद्ध एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है और यह कंपनी विद्युत क्षेत्र के वित्त प्रदान करने के कारोबार में लगी हुई है, जैसा कि प्रबंधन द्वारा पुष्टि की गई है और प्रमाणित किया गया है, क्षेत्रों/कारोबारों के आधार पर कंपनी के लिए निम्नलिखित कानून विशेष रूप से लागू हैं:

– भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी नियम, विनियम एवं अनुदेश।
– लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कारपोरेट शासन संबंधी दिशा–निर्देश।

हमने निम्नलिखित के लिए लागू खंडों/विनियमों की अनुपालना की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक।
(ii) सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे दिए गए विवरणों को छोड़कर उपर्युक्त अधिनियम, निमयों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. *कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के तहत सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 के साथ पठित बोर्ड में एक महिला निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।*
2. *लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और मेहनताना समिति और हितधारक संबंध समिति की बैठकों का गठन, अध्यक्षता और गणपूर्ति सेबी(सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 18, 19 और 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 आरईसी के बोर्ड में किसी भी स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के कारण अनुपालन नहीं किया है।*
3. *आरईसी के बोर्ड में किसी स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के कारण निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) का अनुपालन नहीं किया है।*
4. *वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने निर्धारित समय के भीतर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और स्वतंत्र निदेशकों की कम से कम एक बैठक आयोजित करने के संबंध में सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 25(3) और (6) का अनुपालन नहीं किया है।*

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 91 के अनुसार, आरईसी के बोर्ड में सभी निदेशकों की नियुक्ति विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, जिसके कारण उपरोक्त टिप्पणियों की सूचना दी गई थी।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल के अधीन कार्यपालक निदेशकों, गैर–कार्यपालक निदेशकों को उपयुक्त संतुलन के साथ विधिवत रूप से गठित किया गया है परन्तु जैसा कि ऊपर बताया गया है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। निदेशक मंडल की संरचना में समीक्षाधीन अवधि के दौरान यदि कोई परिवर्तन किया गया तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया।

बोर्ड की बैठकों के लिए सभी निदेशकों को समुचित रूप से सूचना दी गयी थी। कम से कम सात दिन पूर्व कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी भेजी गई थी (आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद अल्प सूचना पर आयोजित बैठकों के अलावा) और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण मांगने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रक्रिया मौजूद है।

बोर्ड और/अथवा समिति, जैसा भी मामला हो, की बैठकों में कार्यवृत्त में बोर्ड की बैठकों और संबंधित समिति की बैठकों के सर्वसम्मति से लिए गए सभी निर्णयों को दर्ज किया जाता है।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों की निगरानी और उनका अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों इत्यादि के अनुसरण में कंपनी के कार्यों से मुख्य रूप से संबंधित कंपनी में निम्नलिखित विशिष्ट गतिविधियां हुई:

1. जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है कंपनी ने विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विभिन्न ऋण लिखतें जारी करके दीर्घावधिक/अल्पावधिक निधि जुटाई है:

क्रम सं.	ऋण लिखतों के प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)
1.	कैपिटल गेन बाण्ड्स	5,312
2.	संस्थागत बाण्ड्स/अधीनस्थ ऋण	48,660
3.	बैंको/वित्तीय संस्थाओं/एनएसएसएफ से सावधि ऋण	21,053
4.	विदेशी मुद्रा उधारियां एवं एफसीएनआर (बी) ऋण	20,669
5.	बैंकों से अल्पावधिक ऋण	3,550
	अवधि के दौरान जुटाई गई कुल निधियां	**99,244**

2. वर्ष के दौरान, 5 फरवरी, 2021 के अपने आदेश के माध्यम से कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2020 की नियत तारीख को आरईसी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों यथा आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) ("ट्रांस्फेरोर कंपनी") के साथ आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) ("ट्रांसफरी कंपनी") के समामेलन की योजना को अपनी मंजूरी दी।

कृते हेमंत सिंह एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हेमंत कुमार सिंह
(भागीदार)
सदस्यता सं. F6033
प्रैक्टिस प्रमाण पत्र सं. 6370
यूडीआईएनः F006033C000675273

तिथिः 23 जुलाई, 2021
स्थानः दिल्ली

सूचनापरक टिप्पणियां:

1. इस रिपोर्ट को अनुबंध ए के साथ पढ़ा जाए, जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।
2. कोविड–19 महामारी के चलते प्रतिबंधित आवागमन के कारण हमने कार्यवृत्तों, दस्तावेजों, रजिस्टरों और अन्य रिकॉर्डों इत्यादि सहित सचिवालयी रिकॉर्डों की जांच कर सचिवालयी लेखापरीक्षा संचालित की है और उनमें से कुछ की समीक्षा कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्राप्त हुए।

अनुबंध– क

सदस्यगण,
आरईसी लिमिटेड
कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवालयी रिपोर्ट का रख–रखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयी रिपोर्ट पर राय व्यक्त करने की है।
2. हमने ऐसी लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है जो सचिवालयी रिपोर्ट की सामग्री के सही होने के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। यह सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक जांच के आधार पर किया गया था कि सचिवालयी रिपोर्ट में सही तथ्य दर्शाए गए हैं। हमारा विश्वास है कि हमने जिन पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड और लेखाबहियों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच यादृच्छिक जांच के आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करने तक सीमित थी।
6. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न तो कोई आश्वासन है और न ही इसकी सक्षमता अथवा प्रभावकारिता के बारे में है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को किया है।

कृते हेमंत सिंह एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हेमंत कुमार सिंह
(भागीदार)
सदस्यता सं. F6033
प्रैक्टिस प्रमाण पत्र सं. 6370
यूडीआईएनः F006033C000675273

तिथिः 23 जुलाई 2021
स्थानः दिल्ली